Telephone:23007814
Fax No :23014903

DHRD/16342/RRs/Stores Cadre/C/P/04
Government of India
Ministry of Defence
Defence Research & Dev.Org
Directorate of Human Resource Dev.
DRDO Bhawan, 'B' Wing
New Delhi-110011

29 Aug 2023

To,

The Director,

(All Labs/Estts)

Sub: **AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR STORE OFFICER GRADE-II, STORE OFFICER AND SENIOR STORE ASSISTANT (GROUP 'A' & 'B' POSTS)**

Recruitment Rules published in the official Gazette vide SRO-85 "Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Store Officer Grade-II, Store Officer and Senior Store Assistant (Group 'A' & 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023 is forwarded herewith for your information.

(Rajesh Kumar)
Dy. Dir (HRD)

Encls: As above

Copy to :-

Secretary, D(R&D), DESIDOC, DOP, Pers (AA-1), CAO-A1(B)
All Recognized Associations and Federations of DRDO
All DG(DRDO)
Leader/Secretary Staff Side/All JCM Members
DRONA, Min of Def/D (R&D), Min of Def (Fin/R&D), New Delhi

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082023-248377
CG-DL-W-28082023-248377

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2023, शनिवार/श्रावन 29—भाद्र 4, 1945
No. 18] NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2023, SATURDAY/SHRAVANA 29—BHADRA 4, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

का.नि.आ. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2012 को जो वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II, भंडार अधिकारी और वरिष्ठ भंडार सहायक के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने मे पहले लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II, भंडार अधिकारी और वरिष्ठ भंडार सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II, भंडार अधिकारी और वरिष्ठ भंडार सहायक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन - ये नियम उन पदों के लिए लागू होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं**-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** - कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड- II	58* (2023)* कार्य भार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (56100-177500 रू)	चयन	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारण की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।	**आवश्यक :-** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री, और (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर

						किपिंग और स्टाक अकांउट में दो वर्ष का अनुभव; अथवा (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन अथवा मालगोदाम प्रबंधन अथवा प्रापण अथवा लॉजिस्टिक अथवा लोक प्रापण में डिप्लोमा। (v) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बैंक अथवा भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर किपिंग और स्टाक अकांउट में चार वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाए।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होगा।	प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू.) में स्तर -7 में ऐसे भंडार अधिकारी जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से

	टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण दिया जाएगा।	(ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर लिया हो। **टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू.) में स्तर-7 में भंडार अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगा। **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2. महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन – सदस्य; 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन- सदस्य; 4. निदेशक अथवा उप सचिव (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास) – सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) में सम्मिलित होंगे:-** (1) महानिदेशक (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य; (3) निदेशक या उप सचिव, (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या निदेशक या संयुक्त निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार (अनुसंधान एवं विकास) – सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. भंडार अधिकारी	215* (2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –7	चयन	लागू नहीं होना	लागू नहीं होता

	*कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय	राजपत्रित अनुसचिवीय	(44900रु.- 142400 रु.)			

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**(i)** साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति द्वारा; और **(ii)** चालीस प्रतिशत (लघु अवधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6 में ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक जिसने इस ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400) या उसके सदृश स्तर-6 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव, धारण करते हों- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान या बैंक या निजी क्षेत्र के संगठन जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, से तीन वर्ष का भंडार के देख-भाल और भंडार लेखे के रखरखाव का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

			(अल्पकालिक संविदा सहित) के साथ-साथ साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) में सम्मिलित होंगे:- (1) महानिदेशक (मानव संसाधन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य; (3) अवर सचिव, (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास), रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उप निदेशक (कार्मिक निदेशालय या मानव संसाधन एवं विकास निदेशालय) – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वरिष्ठ भंडार सहायक	240* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रू)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी।	**आवश्यक अर्हताएं** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकीय या कारबार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान या बैंक या निजी क्षेत्र के संगठन जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, से एक वर्ष का भंडार के देख-भाल और भंडार लेखे के रखरखाव का अनुभव हो। (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकीय या कारबार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; और

						(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक उपक्रम या विश्वविद्यालय या कोई भी मान्यताप्राप्त संस्थान या भारतीय स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध निजी संगठनों में भंडार रख-रखाव एवं भंडार लेखा रख-रखाव में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अन्यथा अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज कारणों के अधीन कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। **टिप्पण 2:** यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आवश्यक अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध नहीं है तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में दर्ज कारणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण	**(i)** साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **(ii)** चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में ऐसे भंडार सहायक जिसने इस ग्रेड में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, पूरी कर ली हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता पहले ही

			पूरी कर ली है, के साथ अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (29200-92300) या उसके सदृश स्तर-5 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100) या उसके सदृश स्तर-4 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) के साथ-साथ साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) की संरचना (1) निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष; (2) किसी भी सहभागी प्रयोगशाला या स्थापना के दो अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II या वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II या समकक्ष अधिकारी के रैंक से नीचे नहीं हों - सदस्य; (3) अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' के रैंक से नीचे के न हों, जो किसी भी संबंधित घटक स्थापना या प्रयोगशाला से नहीं हो या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी हों – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

ग्रुप 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार हेतु) की संरचना: 1. निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष; 2. किसी भी सहभागी प्रयोगशाला या स्थापना के दो अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II या वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड-II या समकक्ष अधिकारी के रैंक से नीचे नहीं हों - सदस्य; 3. अधिकारी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' के रैंक से नीचे के न हों, जो किसी भी संबंधित घटक स्थापना या प्रयोगशाला से नहीं हो या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी हों – सदस्य।	

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरस/भंडार कैडर/सी/पी/04/789/डी (आरएंडडी) तारीख 18 अगस्त, 2023]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2023

S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the posts of Senior Stores Officer Grade II, Stores Officer and Senior Store Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Officer Grade II, Store Officer and Senior Store Assistant, in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Store Officer Grade II, StoreOfficer and Senior Store Assistant (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** -These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** -The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Store Officer Grade II.	58* (2023)* Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (i) Masters Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute, and (ii) Two years experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Government or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised instituton or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India; or (iii) Bachelors Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or institute; (iv) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or public procurement from recognised University or institute. (v) Four years experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Governments or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

						Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made**
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two year for promotees and direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) seventy-five per cent. by promotion. (iii) twenty-five per cent. by direct recruitment.	Promotion: Stores Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Stores Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 49900-142400) on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

2. Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation - Member; 3. Director Directorate of Personnel or Director Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member; 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Force Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) – Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation – Chairman; 2. Director Directorate of Personnel or Director Human Resource Development, Defence Research and Development organisation - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Force Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Store Officer	215* (2023) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(i) sixty per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and (ii) forty per cent. by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Senior Store Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-

			112400) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,- (i) Bachelor degree from a recognised University; (ii) Three years' experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Governments or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director General (Human Resource) Defence Research and Development Organisation - Chairman; (2) Director, Directorate of Personnel, or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member; (3) Under Secretary, (Defence Research and Development), Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence or Deputy Director of Armed Force Headquarters Civil Services, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior Store Assistant.	240*(2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial,	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential qualifications: (i) Masters' Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute; and (ii) One year experience in store

						keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Governments or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institute or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock Exchanges of India; or (iii) Bachelors Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or public Administration from a recognised University or institute; and (iv) Two years' experience in store keeping and maintaining stores accounts in the Central Government or State Governments or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or University or any recognised institute or Banks or in a private sector organisations listed on the Stock Exchanges of India. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in

						writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two year for direct recruits and promotees. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) sixty per cent. by direct recruitment. (ii) forty per cent. by promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Store Assistant 'B' in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term comtract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or

			autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or research institution,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director of Defence Research and Development Laboratories, Defence Research and Development Organisation – chairman; 2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or Establishments - Member; 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from Defence Research and Development Organisation Headquarter– Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director of Defence Research and Development Laboratories, Defence Research and Development Organisation – Chairman; 2. Two officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent Officer from any of the participating Laboratories or	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Establishments – Member; 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or Officer of equivalent level from Defence Research Development Organisation headquarters - Member.	

[F. No. DHRD/16342/RRs/Store Cadre/C/P/04/789/D (R&D) dated the 18 August, 2023]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.